भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पाकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं.253/जीएस/67-2018 **दिनांक : 16.08.2018**

निविदा आमंत्रण नोटिस

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली कार्यालय अनुलग्नक-1, अपना मूल्य उद्धरित करें (अनुलग्नक-।।) तथा ठेका फॉर्म (अनुलग्नक-।।।) में दिए ब्यौरे के रूप में विवरणों तथा निबंधन एवं शर्तो के अनुसार मदें जो पुरानी हो गई है तथा अप्रचलित/अनुपयोगी प्रकृति की है, के निपटान के लिए फर्मों से ई-बोली (ऑनलाइन निविदा) आमंत्रित करता है।

निपटान किए जाने वाली मदों का विवरण निविदा दस्तावेज में दिया गया है। प्रयोजन हेतु जारी निविदा दस्तावेज को सीपीपी पोर्टल (www.eprocure.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है तथा बोलियों को इसी पोर्टल (www.eprocure.gov.in) के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में प्रस्तुत किया जा सकता है। सीपीपी पोर्टल के अलावा अन्य प्रस्तुत बोलियों को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इस निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों को सूचना हेतु नीचे प्रस्तुत किया गया है:

क्रम सं.	विवरण	तिथि	समय
1	निविदा के ऑनलाइन प्रकाशन की तिथि	20.08.2018	0900 बजे
2	निविदा दस्तावेज का डाउनलोड आरंभ करने की तिथि	20.08.2018	0900 बजे
3	बोली को प्रस्तुत करने की आरंभिक तिथि	20.08.2018	0900 बजे
4	बोली को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	11.09.2018	1100 बजे
5	मूल ईएमडी तथा हलफनामे को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	11.09.2018	1100 बजे तक
6	बोली खोलने की तिथि	12.09.2018	1100 बजे

सक्षम प्राधिकारी को किसी या सभी बोलियों को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार है तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(दिनेश कुमार)
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस)

संलग्नक-।

सामान्य निबंधन एवं शर्तें

1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय अपने पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली तथा 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली के दोनो भवनों की मदें जो पुरानी हो गई है तथा अप्रचलित/अनुपयोगी प्रकृति की है, का निपटान करेगा।

2. बयाना राशि जमा

2.1 यह बोली किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ₹ 25,000/- (₹ पच्चीस हजार केवल) की बयाना राशि सहित होनी चाहिये। बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट की वैधता बोली को प्रस्तुत करने की तिथि से शुरू 3 (तीन) महीनों तक होनी चाहिए। बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट **पीएओ, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली** के पक्ष में देय होना चाहिये।

2.2 बोलीदाता, बयाना राशि जमा की एक प्रति स्कैन करेगा तथा इसे सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करेगा। बयाना राशि जमा की मूल प्रति वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (जीएस), भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पॉकेट 9-दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली को बोली अपलोड करने की तिथि अथवा उससे पूर्व भेजा जाएगा। ईएमडी की मूल प्रति स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टरड पोस्ट द्वारा भेजी जा सकती है। यह व्यक्तिगत रूप से भी दिया जा सकता है। बोली को अपलोड करने के बंद होने से पूर्व ईएमडी की प्राप्ति न होने के मामले में, बोली को नहीं खोला जाएगा।

2.3 बोलीदाता, जो जीएफआर 2017 के नियम 170 के अनुसार ईएमडी जमा करने से छूट प्राप्त है। सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तकनीकी बोली के साथ इसका दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगें। इसके अलावा, उन्हें मान्य छूट प्रमाणपत्र की हार्डकॉपी सलंग्न करनी है तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि इसे निविदा दस्तावेज अनुसार प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है जैसा अनुबंध-3 के खंड 3.2 में वर्णित है।

2.4 किसी भी पिछले कार्य के संबंध में विभाग द्वारा किसी भी लंबित बिल के प्रति समायोजन या सुरक्षा जमा या कोई भी पहले जमा की गई बयाना राशि के स्थानांतरण के लिये कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2.5 बोलीदाता को इसकी निबंधन एवं शर्तों में संशोधन या अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि बोलीदाता इसमें किये गये करार के पालन और पूरा करने में विफल रहे या दर प्रस्तुत करने के बाद पीछे हटे, उपरोक्त बोली प्रतिभूति जमा सरकार के पास जब्त कर ली जायेगी।

2.6 बयाना राशि के बिना बोली तुरंत खारिज कर दी जायेगी।

2.7 बयाना राशि या सुरक्षा जमा की राशि पर ब्याज या मूल्य में कटौती के संबंध में सरकार/विभाग के प्रति कोई दावा नहीं होगा।

2.8 निम्नलिखित मामलों में बोली प्रतिभूति (बयाना राशि जमा) जब्त कर ली जायेगी:

(i) यदि बोलीदाता अपनी बोली बोली फॉर्म में बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट बोली वैधता अवधि के दौरान वापिस ले: अथवा

(ii) सफल बोलीदाता के मामलें में, यदि बोलीदाता

क) निविदा दस्तावेज के निबंधनों के अनुसार ठेका निष्पादन करने में विफल हो;
ख) निविदा दस्तावेज के मामलें में ग्राहक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवश्यक निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
ग) सेवाओं के लिए अपने द्वारा उद्धृत मूल्यों या उसके भाग का सम्मान करने में विफल रहता है या मना कर देता है।
घ) इस मामले में, बोलीदाता भविष्य में निविदा प्रक्रिया से वंचित हो जायेगा।

2.9 जमा बयाना राशि के लिए कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

3. बोली की वैधता

3.1 बोली, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिये स्वीकृति हेतु वैध और खुली रहेगी।

3.2 ग्राहक, बिना किसी संशोधन और इसका बिना कोई कारण दिये, 30 दिनों की अधिक अवधि बढ़ाने के लिये अनुरोध कर सकता है।

4. सीपीपी पोर्टल में ई-निविदा की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण

4.1 निविदा दस्तावेज का इसकी निबंधन तथा शर्तों के साथ www.eprocure.gov.in (सीपीपी पोर्टल) पर अपलोड किया गया है। बोलीदाता वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकता है तथा निविदा दस्तावेज देख सकता है। बोलीदाता को मान्य डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीपीपी पोर्टल के माध्यम से बोलियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी सूचना वेबसाईट http:/eprocure.gov.in/eprocure/app. पर प्राप्त की जा सकती है।

4.2 बोलीदाता जो ई-खरीद में भाग लेने के इच्छुक है, www.eprocure.gov.in में निर्धारित मानक प्रारूपों में अपनी बोली प्रस्तुत करेगा।

4.3 बोलीदाता अपनी बोली के समर्थन में www.eprocure.gov.in पर निविदा दस्तावेज की आवश्यकताओं के अनुसार बायाना राशि जमा/छूट प्रमाणपत्र सहित सभी सुसंगत प्रमाणपत्र, दस्तावेज आदि की स्कैन की हुई प्रतियों को हस्ताक्षरित, स्टैम्प तथा अपलोड करेगा। बोलीदाता अपनी यथार्थता/प्रमाणिकता के लिए स्वामित्व उत्तरदायित्व सहित अपने द्वारा अपलोड सभी विवरणों, दस्तावेजों आदि पर हस्ताक्षर करेगा।

4.4 बोलीदाता को भारत के सीएजी कार्यालय, पॉकेट 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 के रिसेप्शन पर ड्रॉप बॉक्स में "अप्रचलित मदो के निपटान हेतु निविदा" लिखे हुए सीलबंद लिफाफे में अथवा निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट तिथियों पर अथवा उससे पूर्व उक्त दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजे गए निविदा दस्तावेज में वर्णित रूप में बयाना राशि जमा प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

4.5 यदि निविदा आनलाइन (सीपीपी पोर्टल) अथवा मूल बयाना राशि जमा/छूट पत्र के अलावा अन्य मध्यम से प्रस्तुत की जाएं तथा बोलीदाता द्वारा अन्य दस्तावेज अर्थात हलफनामें को निविदा दस्तावेज के अनुबंध 3 के खंड 8 में वर्णित अनुसार उल्लिखित तिथि/समय के अन्दर प्रस्तुत न किया जाएं तो बोली रद्द कर दी जाएंगी।

4.6 निविदा दस्तावेज में महत्वपूर्ण तिथियां उल्लेखित है।

5. महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्रम संख्या	विवरण	तिथि	समय

1.	निविदा के ऑनलाईन प्रकाशन की तिथि	20.08.2018	09:00 बजे
2.	निविदा के ऑनलाईन डाऊनलोड करने की आरंभिक तिथि	20.08.2018	09:00 बजे
3.	बोली प्रस्तुतीकरण की आरंभिक तिथि	20.08.2018	09:00 बजे
4.	बोली प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि	11.09.2018	11:00 बजे
5.	मूल ईएमडी, शपथ पत्र और अन्य दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए अन्तिम तिथि और समय	11.09.2018	11:00 बजे तक
6.	बोली को खोलने की तिथि	12.09.2018	11:00 बजे

6 बोली

बोलीदाता को उपरोक्त निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करना और अपनी बोली सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। बोलीदाता द्वारा अपनी बोली के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है:

क. **बोली प्रपत्र :** बोलीदाता को निविदा दस्तवेज में प्रदत्त अनुसार बोली प्रपत्र को हस्ताक्षरित, स्टैंप, स्कैन और अपलोड करना अपेक्षित होगा।

ख. **निविदा दस्तावेज :**बोलीदाता द्वारा निविदा दस्तावेज की शर्तों और निबंधनों की अपनी स्वीकृति के समर्थन में निविदा दस्तावेज को डाऊनलोड करना और डीएससी के साथ निविदा के प्रस्तुतीकरण के समय पुन: इसे अपलोड करना अपेक्षित होगा।

ग. **बयाना राशि जमा:** सीपीपी पोर्टल के माध्यम से बयाना राशि जमा या छूट प्रमाणपत्र की स्कैंड प्रति अपलोड की जानी चाहिए। बोलीदाता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निविदा दस्तावेजों के अनुसार बयाना जमा राशि/ छूट प्रमाण पत्र की मूल प्रति कार्यालय में भी प्रस्तुत की गई है।

घ. **बोली मूल्य :**बोलीदाता से 'बिल ऑफ क्वांटिटि टेम्लेट (बीओक्यू) को एकल समेकित विवरण में अपनी कीमतों को उद्धत करना अपेक्षित है जो कि निविदा दस्तावेज में उपलब्ध है। ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल केवल बीओक्यू टेम्लेट को स्वीकार करेगा और दर को सीपीपी पोर्टल में दिये गये बीओक्यू टेम्पलेट को अलावा किसी अन्य स्थान पर उद्धृत नहीं करना चाहिए।

ङ. बोलीदाता को उनकी संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक और हर मदों के लिए केवल भारतीय रूपये में दर उद्धत करनी चाहिए (अंको के साथ-साथ अंग्रेजी के शब्दों में)। अंको और शब्दों में दर की भिन्नता के मामले में, शब्दों में लिखी दर को माना जाएगा। यदि सभी मदों के लिए दरों को उद्धत नहीं किया गया है, तो बोली वैध नहीं रहेगी और इसलिए उसे रद्द कर दिया जाएगा।

च. उद्धत दरें स्थाई और अन्तिम होगी। कीमतों में सभी शुल्क शामिल किये जाने चाहिए।

7. बोली खोलने की प्रक्रिया तथा मूल्यांकन और कार्य देना

7.1 निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट किये गये समय और तिथि के उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति के अधिकारियों द्वारा बोली को ऑनलाईन खोला जाएगा।

72. बोलियों को खोलने से पहले बोलियों को खोलने के लिए उनकी उपस्थिति की ईच्छा के मामले में, बोलीदाता के प्रतिनिधि द्वारा एक अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

7.3 बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति से बोली खोलने की प्रक्रिया की वैधता कम नहीं होगी।

7.4 बोली खोलने तथा ईएमडी राशि का सत्यापन करने के पश्चात, बोलीदाता पर आगे विचार किया जाएगा।

7.5 बीओक्यू में वर्णित संबंधित श्रेणी में उच्चतम मूल्य वाले बोलीदाता को कार्य दिया जाएगा। उच्चतम बोलीदाताओं को उद्धरित मूल्यों पर मदों का निपटान किया जाएगा।

8. स्वीकृति का अधिकार:

8.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को उन बोलीदाताओं जो बिना कोई कारण बताएं अनुदेशों का अनुपालन करने मे असफल हुए हो, सहित किसी भी बोली को अस्वीकृत करने का अधिकार है और सबसे अधिकतम और अन्य किसी विशिष्ट बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इस सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अनतिम एवं बाध्यकारी होगा।

8.2 निर्धारित प्रक्रिया पालन करने के लिए बोलीदाता की ओर से कोई भी विफलता तथा कार्य के लिए कैनवास करने का कोई भी प्रयास बोलीदाता की बोली के निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

8.3 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को किसी भी सफल एजेंसी को अपने विवेक से पूर्ण अथवा आशिंक ठेका प्रदान करने का अधिकार है तथा यह बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

8.4 एजेंसी जिसे ठेका दिया गया है द्वारा दर्शाये गए निबंधन एवं शर्तों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुपालन करने मे असफल होने पर, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को किसी भी उच्च बोलीदाता या अन्य बाह्य एजेंसी को ठेका देने का अधिकार है।

8.5 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को ठेके को समाप्त करने अधिकार है यदि यह पाया जाता है कि बोलीदाता जिसे ठेका दिया गया है, को किसी भी सरकारी विभाग/संस्थानों/स्थानीय निकायों/ नगर पालिकाओं द्वारा पिछले अवसर पर ब्लैक लिस्ट किया गया है। ऐसे मामले में, ग्राहक द्वारा ठेकेदार कालीसूची में डालने का पात्र होगा।

9 जमा बयाना राशि लौटाना (बोली प्रतिभूति राशि)

9.1 कार्य देने के पश्चात 7 दिनों मे असफल बोलीदाताओं का बयाना वापिस किया जाएगा।

9.2 बयाना राशि जमा पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

10 बोली की मुद्रा और भुगतान

10.1 बोलीदाता अपनी बोली कीमत प्रस्ताव भारतीय रूपये में प्रस्तुत करेगा और इस ठेके के अन्तर्गत भुगतान भारतीय रूपये में किया जाएगा।

11 गोपनीयता

11.1 ठेकेदार ग्राहक के व्यापार अथवा सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा/अथवा ग्राहक के व्यवसाय पर कोई गोपनीय सूचना स्वामित्व संबंधी सूचना, किसी तीसरे पक्ष को बताने, प्रकट करने तथा/अथवा प्रचारित न करने के लिए सभी सावधानी बरतेगा। दायित्व किसी कार्यक्षेत्र तक सीमित नहीं है तथा ठेकेदार को ग्राहक की सूचना की गोपनीयता के उल्लंघन के मामले में उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

12. 'स्वीकृति पत्र' जारी करके ठेका प्रदान किये जाने की अधिसूचना

12.1 सफल बोलीदाता का निर्धारण करने के पश्चात, ग्राहक अपनी संबंधित श्रेणियों में पाए गए संबंधित उच्च बोलीदाता को एक डुप्लीकेट प्रति में स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी करेगा जो उनके द्वारा उससे इसकी प्राप्ति के **तीन दिनों (03)** के अन्दर, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से भरी हुई, स्वीकृत की गई व हस्ताक्षरित की गई एक प्रति ग्राहक को वापिस करेगा।

12.2 बोलीदाता को स्वीकृति पत्र जारी करना ठेके का एक अभिन्न अंग होगा तथा ठेके पर बाध्यकारी होगा।

13 ठेका विशेष की सामान्य निबंधन एवं शर्तें

(i) इस कार्यालय के दोनो भवनों अर्थात पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली तथा 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में पडी अप्रचलित मदों के निपटान के लिए ठेका उच्चतम मूल्य वाले बोलीदाता को दिया जाएगा।

(ii) सफल बोलीदाता को इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति पत्र दिए जाने के अगले दिन पॉकेट 9, दीदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली पर इस कार्यालय के कैशियर के पास अपनी बोली राशि के अनुसार सम्पूर्ण राशि जमा करना अपेक्षित होगा।

(iii) सफल बोलीदाता को इस कार्यालय के कैशियर के पास राशि जमा करने के तीन दिनों के अन्दर सभी मदों/वस्तुओं को हटाना अपेक्षित है। राशि को नई दिल्ली में देय पीएओ, भारत के नियंत्रक –महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली के पक्ष में नकद या क्रास्ड डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराया जा सकता है।

(iv) यदि ठेकेदार बोली के अनुसार राशि जमा नहीं करता अथवा निर्दिष्ट समय के अन्दर वस्तुओं/मदों को नहीं हटाता तो ठेका ठेकेदार की लागत तथा जोखिम पर अगले उच्च बोलीदाता को दिया जाएगा तथा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बयाना राशि जमा को सरकार के लिए जब्त किया जाएगा। अत: इस कार्यालय में इस संबंध में ठेकेदार कोई दावा नहीं करेगा।

(v) बोलीदाता को किसी भी कार्यकारी दिवस में 10:00 बजे पूर्वाहन तथा 4:00 बजे अपराहन के बीच पॉकेट 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली तथा 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली पर इस कार्यालय के दोनों भवनों का दौरा करने तथा सभी अप्रचलित मदों की जांच करने का परामर्श दिया जाता है। अप्रचलित मदें जांच के लिए 10.09.2018 को 17:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

(vi) ठेकेदार के अनुसार दायित्वो को पूरा करने में कार्यालय द्वारा ठेकेदार को कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी तथा इस संबंध में ठेकेदार के किसी खर्चे/दावे, जो भी हो पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(vii) किसी मूल्य भिन्ता पर विचार नहीं किया जाएगा।

14 ठेकेदार की देयता

(i) ठेकेदार या उसका कोई कार्मिक किसी देयता, दावा, हानि या नुकसान किए जाने तथा उनके द्वारा ठेका भंग के किसी कारण, गलत कार्य, ठेकेदार द्वारा की गई लापरवाही पर क्लाइंट या उसके कर्मचारियों को हानि रहित ठहराएगा।

(ii) ठेकेदार ग्राहक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ठेके या उसके किसी भाग का उप ठेका, किसी भी ठेकेदार को हस्तातंरण या कार्य नहीं सौंपेगा। ठेकेदार द्वारा इस शर्त के उल्लंघन में, क्लाइंट जोखिम एवं लागत पर अन्य किसी और अन्य ठेकेदार को ठेका देने का हकदार होगा और ठेकेदार उस हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा जो क्लाइंट को ठेके के इस प्रकार प्रतिस्थापित करने के कारण या परिणामस्वरूप हो सकती है।

15 . अप्रत्याशित घटना–पार्टियों के दायित्व

15 'अप्रत्याशित घटना' का अर्थ होगा ग्राहक या ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर की कोई घटना, जैसा भी मामला हो, और जो प्रभावित पार्टी के यथोचित ध्यान के बावजूद अप्रत्याशित हो और जो उचित दक्षता और ध्यान और अच्छी औद्योगिक प्रथाओं का उपयोग करके भी बचाया नहीं जा सकता हों और उसमें बिना किसी सीमा के निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) युद्ध, युद्धस्थिति, आक्रमण, विदेशी शत्रु की कार्यवाही और सिविल युद्ध;

(ii) विद्रोह, क्रान्ति, बगावत, गदर, साजिश, दंगा, नागरिक उपद्रव और आतंकी कार्रवाई;

(iii) हड़ताल , तोड़ फोड़, अवैध तालाबंदी, महामारी, संगरोध और प्लेग;

(iv) भूकम्प, आग, बाढ़, या चक्रवात अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा।

जैसे ही यथोचित रूप से व्यवहार्य हो किन्तु अप्रत्याशित घटना की किसी स्थिति को प्रारंभ की तिथि से 48 (अड़तालिस) घंटे से अधिक नहीं प्रभावित पार्टी निम्नलिखित यथोचित विवरण के साथ साथ अप्रत्याशित घटना के मामले में दूसरी पार्टी को अधिसूचित करेगी :

15.1 अप्रत्याशित घटना के प्रारंभ होने की तिथि;

15.2 अप्रत्याशित घटना की प्रकृति और सीमा;

15.3 अप्रत्याशित घटना की अनुमानित अवधि;

15.4 इस प्रकार के विलम्ब या असफलता के स्वरूप का यथोचित सबूत और निष्पादन के लिए समय पर इसका अप्रत्याशित प्रभाव और उस सीमा तक जिस तक ठेके के तहत उसकी किसी देयताओं का निष्पादन अप्रत्याशित घटना द्वारा प्रभावित होता है।

15.5 उपाय जो अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को कम/मन्द करने के लिए प्रभावित पार्टी द्वारा किए गए या प्रस्तावित किए गए और उससे प्रभावित उसकी ऐसी देयताओं के निष्पादन को फिर से प्रारंभ करना।

15.6 अप्रत्याशित घटना से संबंधित कोई अन्य सुसंगत सूचना और/या ठेके के तहत पार्टियों के अधिकार या देयताएं।

16. शासित कानून और विवादों का निपटान

16.1 इसकी शर्तों की व्याख्या सहित इस ठेके से संबंधित या उत्पन्न् कोई दावा, विवाद और या भिन्नताएं (इस ठेके के अस्तित्व, वैधता या समाप्ति से संबंधित विवाद सहित) संबंधित पार्टियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त चर्चा के माध्यम से सुलझाएं जाएंगे। तथापि जैसा ऊपर बताया गया है यदि विवाद का समाधान 30 दिनों की अवधि के अन्दर नहीं किया जाता है तो मामला मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996 के तहत बनाए गए नियमों जिसमें आशोधन संशोधन और भावी नियम है, के तहत बनाए गए नियमों जिसमें आशोधन, संशोधन तथा भावी नियम है, के प्रावधानों के अनुसार भारत के निंयत्रक-महालेखापरीखक के कार्यालय द्वारा नियुक्त किए गए मात्र मध्यस्थ की मध्यस्थता को अधिनिर्णय के लिए भेजा जएगा। मध्यस्थता का स्थल नई दिल्ली होगा और मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम और पार्टियों पर बाध्य होगा।

16.2 **न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** यह ठेका भारत गणराज्य के नियमों द्वारा शासित है और दिल्ली के न्यायालयों के एकमात्र क्षेत्राधिकार के अधीन होगी।

17 . समाप्ति

17.1 यदि ठेकेदार अपने जोखिम तथा लागत पर इस ठेका करार के तहत अपने दायित्वों में महत्वपूर्ण उल्लंघन करता है तो ग्राहक द्वारा ठेका समाप्त किया जा सकता है। यदि ठेके की किसी निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन मामले में, क्लाइंट द्वारा ठेका रद्द कर दिया जाएगा, और क्लांइट द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा तथा बयाना राशि जमा जब्त कर लिया जाएगी।

18. दावा त्यागना

ग्राहक के रिश्तेदारों/ कर्मचारियों के निकट रिश्तेदारों को इस बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं है। इस उद्देश्य के लिए निकट संबंधियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

(क) अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्यों के रूप में;

(ख) उनके पति या पत्नी

(ग) एक का दूसरे से इस प्रकार से संबंध जैसे पिता, माता, पुत्र, पुत्र की पत्नी (बहू) पुत्री, पुत्री का पति (दामाद), भाई एवं भाई की पत्नी, बहन और बहन का पति (बहनोई)।

संलग्नक ।।

बोलीदाता का नाम .....

बोली मूल्य

अपना मूल्य उद्धरित करें

क्रम सं.	विवरण	इकाई	उद्धरित मूल्य (₹)
1	इस कार्यालय 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली तथा पॉकेट 9, दीन दयाल उपध्याय मार्ग, नई दिल्ली पर पडी हुई विविध पुरानी अप्रचलित, अव्यवहार्य, मिश्रित तथा छांटी गई मदे।	लगभग	

टिप्पणी:

1 बोलीदाता सीपीपी पोर्टल में बीओक्यू में मूल्य उद्धरित करेगा।

दिनांक:

स्थान: बोलीदाता के हस्ताक्षर

(कार्यालयी सील)
पूरा नाम एवं पदनाम

संलग्नक ।।।

बोली फॉर्म

1	बोलीदाता का नाम	
2	पूरा डाक पता	

3	टेलीफोन नम्बर/	
	मोबाईल नं./	
	फैक्स नं	
4	ई-मेल	
5	पैन खाता सं. (प्रति संलग्न होनी चाहिए)	
6	ईएमडी मांग ड्राफ्ट सं. तथा दिनांक	
	जारीकर्ता बैंक का विवरण	
	राशि	

वचन

1. मै अधोहस्ताक्षरित प्रमाणित करता हूं कि मैंने बोली दस्तावेज में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने का वचन देता हूं।
2. मेरे द्वारा प्रस्तुत दरें वैध हैं और ठेके की पूर्ण अवधि के लिये मुझ पर बाध्यकारी हैं और यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत दरें न्यूनतम दरें है जैसी भारत में किसी भी अन्य संस्था में प्रस्तुत हैं।
3. मैं/हम भारत के निंयत्रक-महालेखापरीखक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को मेरे /एजेंट की ओर से कोई विलम्ब अथवा ठेके के प्रावधानो का अनुपालन करने में विफलता पर मेरे/हमारे द्वारा जमा बयाना राशि/प्रतिभूति राशि को जब्त करने का अधिकार देता है।
4. मैं निर्धारित अवधि के अन्दर निविदा दस्तवेज/आपूर्ति आदेश में दिए निर्देशों के अनुसार कार्य करने का वचन देता हूं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

स्थान:
दिनांक:

पदनाम:
(बोलीदाता की कार्यालय मुहर)